भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *249

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2026

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम

***249. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नव-अधिसूचित विकास क्षेत्रों में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत नए डिग्री महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई समयबद्ध योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित अस्पतालों और विद्यालय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता अत्यंत खराब होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो बहुत कम समय में ही जीर्ण-शीर्ण होने लगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत केवल निर्माण लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय इन परिसरों से लाभार्थियों को दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत कोई स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इन अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम' विषय पर माननीय सांसद श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *249 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसे तथा अन्य पहचाने गए क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है।

यह योजना मांग-आधारित है तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाता है। संशोधित पीएमजेवीके दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन देश के सभी जिलों में किया जा सकता है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले पहचाने गए क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नव-अधिसूचित विकास क्षेत्रों में पीएमजेवीके के अंतर्गत नए डिग्री महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई समयबद्ध योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे संस्थानों की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत निर्मित अस्पताल अथवा विद्यालय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत कोई स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा नहीं कराई गई है। तथापि, मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन तथा इसके दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन कराए गए हैं।

नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था तथा नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) द्वारा एक प्रभाव-सह-आकलन अध्ययन कराया गया था। इन अध्ययनों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पीएमजेवीके योजना के कार्यान्वयन, प्रभावशीलता, कारगरता, दक्षता तथा संधारणीयता का आकलन किया गया। इनमें अवसंरचना सृजन, सेवा प्रदायगी तथा प्राप्त परिणामों का परीक्षण किया गया तथा जागरूकता, निधि प्रवाह, निगरानी एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण में सुधार हेतु सिफारिशें की गईं।

साथ ही, स्वतंत्र तकनीकी पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने तथा अवसंरचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजेवीके की सभी परियोजनाओं हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (TPQA) को अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) मंत्रालय प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता तथा शैक्षिक सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।

PM VIKAS के कौशल एवं प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवाओं को समकालीन/गैर-पारंपरिक व्यवसायों में बाज़ारोन्मुखी तथा रोजगार-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के अनुरूप है तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस घटक का उद्देश्य लाभार्थियों को उभरती हुई बाज़ार अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना तथा उनकी रोजगारयोग्यता एवं आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाना है।

इस योजना में अल्पसंख्यक कारीगरों को चिन्हित कला एवं शिल्प विधाओं में पारंपरिक प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है, ताकि उनके कौशल का उन्नयन हो, उत्पादकता में सुधार हो तथा वे समकालीन बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें। इसके अतिरिक्त, महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक का उद्देश्य महिला लाभार्थियों में नेतृत्व क्षमता तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

पीएम विकास योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है, ताकि लाभार्थियों के लिए ऋण संपर्क स्थापित किए जा सकें तथा उन्हें को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान की जा सके।

इस प्रकार कौशल विकास, प्रशिक्षण, उद्यमिता सहायता तथा ऋण-संपर्क अभिसरण के माध्यम से मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं की रोजगारयोग्यता एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

*****